रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 69] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 13, 2010/फाल्गुन 22, 1931
No. 69] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 13, 2010/PHALGUNA 22, 1931

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

[तकनीकी संस्थाओं (डिप्लोमा) में शिक्षकों तथा अन्य शैक्षणिक स्टाफ के लिए वेतनमान, सेवा शर्तें और अर्हताएं विनियम, 2010]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2010

फा. सं. 37-3/विधि/2010.—अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का 52) की धारा 10 (i) और (v) के साथ पठित धारा 23 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् निम्न विनियम बनाती है :—

1. संक्षिप्त नाम, प्रयोज्यता एवं आरंभ :

1.1 इन नियमों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् [तकनीकी संस्थाओं (डिप्लोमा) में शिक्षकों तथा अन्य शैक्षणिक स्टाफ के लिए वेतनमान, सेवा शर्तें और अर्हताएं] विनियम, 2010 कहा जाएगा ।

1.2 ये उन तकनीकी संस्थाओं पर लागू होंगे जो तकनीकी शिक्षा तथा ऐसे अन्य पाठ्यक्रम/कार्यक्रम और विषय-क्षेत्र संचालित कर रही हैं जैसेकि परिषद् द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए हैं ।

1.3 ये इनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

सामान्य :

(i) पॉलीटेक्नीकों में शिक्षकों के संबंध में पदनाम होंगे, अर्थात् व्याख्याता, विभाग अध्यक्ष और कार्यशाला अधीक्षक ।

(ii) पॉलीटेक्नीकों में शिक्षकों तथा समकक्ष पदों के वेतन उनके पदनामों के अनुरूप उपयुक्त "शैक्षणिक ग्रेड वेतन" (संक्षेप में एजीपी) के साथ 15600—39100 रु. तथा 37400—67000 रु. के दो वेतन बैंडों में निर्धारित किए जाएंगे । प्रत्येक वेतन बैंड में शैक्षणिक ग्रेड वेतन की विभिन्न अवस्थाएं होंगी, जो यह सुनिश्चित करेंगी कि इस स्कीम के अधीन शामिल शिक्षकों तथा अन्य समकक्ष संवर्गों के पास, अर्हता की अन्य शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन, उनके कैरियर के दौरान ऊर्ध्ववर्ती संचलन के अनेक अवसर उपलब्ध हैं ।

शिक्षकों तथा समकक्ष पदों के लिए संशोधित वेतनमान, सेवा शर्तें तथा कैरियर संवर्धन स्कीम :

शिक्षकों तथा समकक्ष पदों की विभिन्न श्रेणियों के लिए वेतन संरचना नीचे दर्शाए गए अनुसार होगी :

(क) पॉलीटेक्नीकों में व्याख्याता

(i) उपयुक्त शाखा/विषय–क्षेत्र में बी.टैक अर्हता रखने वाले व्यक्तियों को, चाहे वे शिक्षण व्यवसाय में नया–नया प्रवेश कर रहे हों अथवा पॉलीटेक्नीक संस्थाओं में पहले ही व्याख्याता के रूप में सेवा में हों, 5400 रु0 के एजीपी के साथ 15600–39100 रु0 के वेतन बैंड में रखा जाएगा तथा वे उपयुक्त शाखा/विषय–क्षेत्र में निष्णात की अर्हता पूरी कर लेने पर 6000 रु0 के एजीपी में चले जाएंगे।

(ii) उपयुक्त शाखा/विषय–क्षेत्र में बी.ई./एम.टैक अर्हता रखने वाले व्यक्तियों को, चाहे वे शिक्षण व्यवसाय में नया–नया प्रवेश कर रहे हों अथवा पॉलीटेक्नीक संस्थाओं में पहले ही व्याख्याता के रूप में सेवा में हों, 6000 रु0 के एजीपी के साथ 15600–39100 रु0 के वेतन बैंड में रखा जाएगा।

(iii) 4 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने वाला व्याख्याता, जिसके पास प्रासंगिक शाखा/विषय–क्षेत्र में पीएच.डी. डिग्री धारित हो, 7000 रु0 के एजीपी में रखे जाने के लिए पात्र होगा।

(iv) प्रासंगिक शाखा/विषय–क्षेत्र में, जैसाकि तकनीकी शिक्षा के लिए परिभाषित है, निष्णात डिग्री धारण करने वाला व्याख्याता, व्याख्याता के रूप में 5 वर्ष की सेवा पूरी करने में उपरांत 7000 रु0 के एजीपी के लिए पात्र होगा।

(v) ऐसा व्याख्याता, जिसके पास किसी कार्यक्रम की प्रासंगिक शाखा/विषय–क्षेत्र में पीएच.डी. अथवा निष्णात डिग्री नहीं है, व्याख्याता के रूप में 6 वर्ष की सेवा पूरी करने के उपरांत ही 6000 रु0 के एजीपी के लिए पात्र होगा।

(vi) ऐसा व्याख्याता, जिसके पास किसी कार्यक्रम की प्रासंगिक शाखा/विषय–क्षेत्र में पीएचडी अथवा निष्णात डिग्री नहीं है, व्याख्याता के रूप में 9 वर्ष की सेवा पूरी करने के उपरांत ही 7000 रु0 के एजीपी के लिए पात्र होगा।

(vii) सभी व्याख्याताओं के लिए 5000 रु0 के एजीपी से 6000 रु0 के एजीपी में तथा 6000 रु0 के एजीपी से 7000 रु0 के एजीपी में ऊर्ध्ववर्ती संचलन उनके अभातशिप द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन होगा।

(viii) व्याख्याता (वरिष्ठ मान) के पदों के पदधारियों का वेतन (अर्थात 10000–15200 रु0 का पूर्व–संशोधित मान) उनके वर्तमान वेतन के आधार पर 15600–39100 रु0 के वेतन बैंड में उपयुक्त अवस्था पर निर्धारित किया जाएगा, जिसका एजीपी 7000 रु0 होगा।

(ix) 7000 रु0 के एजीपी के साथ 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले व्याख्याता, अभातशिप द्वारा निर्धारित अन्य अपेक्षाओं के अध्यधीन, 8000 रु0 के एजीपी में जाने के लिए पात्र होंगे।

(x) पदधारी व्याख्याता (प्रवरण ग्रेड) जिन्होंने 12000–18300 रु0 के पूर्व–संशोधित वेतनमान में 1.1.2006 को 3 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं, 9000 रु0 के एजीपी के साथ 37400–67000 रु0 के वेतन बैंड में रखे जाएंगे तथा व्याख्याता (प्रवरण ग्रेड) के रूप में पदनामित किए जाने जारी रहेंगे।

(xi) पदधारी व्याख्याता (प्रवरण ग्रेड) जिन्होंने 1.1.2006 को 12000–18300 रु0 के वेतन मान में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं की है, उस समय तक 8000 रु0 के एजीपी के साथ 15600–39100 रु0 के वेतन बैंड में उपयुक्त अवस्था पर रखे जाएंगे, जब तक वे व्याख्याता (प्रवरण ग्रेड) में 3 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं कर लेते, तथा उसके पश्चात उन्हें 37400–67000 रु0 के उच्च वेतन बैंड में रखा जाएगा तथा तदनुसार व्याख्याता (प्रवरण ग्रेड) पदनामित किया जाएगा।

(xii) 8000 रु0 के एजीपी के साथ शिक्षण के 3 वर्ष पूर्ण करने वाले व्याख्याता (प्रवरण ग्रेड), अभातशिप द्वारा यथानिर्दिष्ट अन्य शर्तो के अध्यधीन, 9000 रु0 के एजीपी के साथ 37400–67000 रु0 के वेतन बैंड में रखे जाने के पात्र होंगे।

(xiii) विभागाध्यक्ष का पद 9000 रु0 एजीपी के साथ 37400–67000 के वेतन बैंड में होगा। सीधे भर्ती हुए विभागाध्यक्ष को 37400–67000 रु0 के वेतन बैंड में, जिसमें 9000 रु0 का एजीपी होगा, नियुक्ति के निबंधन और शर्तों के अनुसार वेतन बैंड में उपयुक्त अवस्था में रखा जाएगा।

(xiv) 9000 रु0 के एजीपी में 3 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले तथा प्रासंगिक विषय–क्षेत्र में पीएच.डी. धारण करने वाले विभागाध्यक्ष अभातशिप द्वारा यथानिर्दिष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन की अन्य शर्तों के अध्यधीन पात्र होंगे तथा उन्हें 10000 रु0 के एजीपी के साथ 37400–67000 रु0 में रखा जाएगा।

(xv) व्याख्याता, विभागाध्यक्ष तथा प्राचार्य के स्तर पर प्रारंभिक सीधी–भर्ती के लिए शैक्षणिक एवं शोध अपेक्षाओं के संबंध में पात्रता शर्तें वे होंगी, जो अभातशिप द्वारा विनियमों के माध्यम से निर्दिष्ट की जाएं अथवा निर्दिष्ट की गई हैं।

(xvi) विभिन्न संवर्गों में उच्चतर ग्रेड वेतन में सभी संवर्धन अभातशिप अनुमोदित दो सप्ताह प्रत्येक से अन्यून दो पुनश्चर्या कार्यक्रमों तथा एक सप्ताह प्रत्येक के दो टीईक्यूआईपी प्रायोजित कार्यक्रमों की समाप्ति के अध्यधीन प्रभावी किए जाएंगे।

कार्यशाला अधीक्षक:

कार्यशाला अधीक्षक को व्याख्याता के समकक्ष माना जाएगा तथा उस पर ऊर्ध्ववर्ती संचलन के लिए व्याख्याता के ही समान ही विचार किया जाएगा।

पॉलीटेक्नीकों में प्राचार्यों के वेतन मान:

पॉलीटेक्नीकों में प्राचार्यों के पदों के लिए नियुक्तियां अभातशिप द्वारा समय–समय पर निर्धारित शैक्षणिक अर्हताओं और शिक्षण/शोध अनुभव के संबंध में अर्हता शर्तों के आधार पर होगी, तथा प्राचार्य का पद 10,000 रु0 के एजीपी के साथ 37400–67000 रु0 के वेतन बैंड में होगा, जिसमें 2000 रु0 प्रतिमाह का विशेष भत्ता भी शामिल होगा। सेवारत सभी प्राचार्यों को 10000 रु0 के एजीपी के साथ वेतन बैंड में उपयुक्ततः नियत किया जाएगा तथा वे 2000 रु0 प्रतिमाह के विशेष भत्ते के लिए पात्र होंगे।

पुस्तकालयाध्यक्षों आदि के लिए वेतन मान तथा कैरियर संवर्धन स्कीम

उप–पुस्तकालयाध्यक्ष के पद/समकक्ष पद के लिए पात्र होंगे। उन्हें, यथास्थिति, उप–पुस्तकालयाध्यक्ष/सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (प्रवरण ग्रेड)/कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष (प्रवरण ग्रेड) पदनाम दिया जाएगा।

(iii) उप–पुस्तकालयाध्यक्ष के पद तथा उसके समकक्ष पदों के लिए प्रोन्नति के संबंध में प्रवरण ग्रेड समिति द्वारा चयन की विद्यमान प्रक्रिया जारी रहेगी।

(iv) 8000 रु0 के एजीपी के साथ 15600–39100 रु0 के वेतन बैंड में 3 वर्ष पूर्ण करने के पश्चात उप–पुस्तकालयाध्यक्ष/समकक्ष पद अभातशिप द्वारा निर्दिष्ट पात्रता की अन्य शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन 9000 रु0 के एजीपी तथा 37400–67000 रु0 के वेतन बैंड में चले जाएंगे।

(v) 7000 रु0 के एजीपी में विश्वविद्यालयों में सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (वरिष्ठ मान)/कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष (वरिष्ठ मान) भी, जिनके पास पुस्तकालय विज्ञान में पीएच.डी. अथवा समकक्ष प्रकाशित कार्य नहीं है, परंतु जो अभातशिप द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य मानदण्डों को पूरा करते हैं, 8000 रु0 के एजीपी में रखे जाने के लिए पात्र होंगे।

(vi) उप–पुस्तकालयाध्यक्ष/सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (प्रवरण ग्रेड)/कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष (प्रवरण ग्रेड) के पदों के पदधारी, जिन्होंने 1.1.2006 को 12000–18300 के पूर्व–संशोधित वेतन मान में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, 9000 रु0 के एजीपी के साथ 37400–67000 रु0 के वेतन बैंड में उपयुक्त अवस्था में नियत किए जाएंगे। उन्हें उप–पुस्तकालयाध्यक्ष/सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (प्रवरण ग्रेड) के रूप में कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष (प्रवरण ग्रेड) पदनामित किया जाना जारी रहेगा।

(vii) उप–पुस्तकालयाध्यक्ष/सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (प्रवरण ग्रेड)/कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष (प्रवरण ग्रेड) के पदों के पदधारक, जिन्होंने 37400–57000 रु0 के उच्च वेतन बैंड में रखे जाने के लिए पात्र होने के लिए 12000–18300 रु0 के पूर्व–संशोधित वेतनमान में तीन वर्ष की आवश्यकता को पूरा नहीं किया है, उप–पुस्तकालयाध्यक्ष/सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (प्रवरण ग्रेड)/कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष (प्रवरण ग्रेड) के रूप में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण होने तक 8000 रु0 के शैक्षणिक ग्रेड वेतन के साथ उपयुक्त अवस्था में रखे जाएंगे।

(viii) सीधे भर्ती हुए उप–पुस्तकालयाध्यक्षों के संबंध में वेतन 8000 रु0 के एजीपी के साथ 15600–39100 रु0 के वेतन बैंड में प्रारंभिक रूप से नियत किया जाएगा। वे 8000 रु0 के एजीपी में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात 9000 रु0 के एजीपी के साथ 37400–67000 रु0 के वेतनमान में चले जाएंगे।

(ix) अभातशिप द्वारा निर्दिष्ट पात्रता की विद्यमान शर्तें तथा शैक्षणिक योग्यताएं उप–पुस्तकालयाध्यक्ष के पद हेतु सीधी भर्ती के लिए लागू रहना जारी रहेंगी।

पीएच.डी./एम.टैक तथा अन्य उच्च योग्यताओं के लिए प्रोत्साहनः

(i) यूजीसी द्वारा यथानिर्दिष्ट पंजीकरण, पाठ्यक्रम–कार्य तथा बाह्य मूल्यांकन की प्रक्रिया का अनुपालन करने के पश्चात किसी विश्वविद्यालय द्वारा प्रासंगिक विषय–क्षेत्र में प्रदान की गई

ीएच.डी. की डिग्री धारण करने वाले व्यक्ति को नियुक्ति के प्रवेश स्तर पर पांच गैर–चक्रवर्ती अग्रिम ेतन–वृद्धियां अनुमेय होंगी।

(ii) ाध्यता के पद पर नियुक्ति के समय एम.फिल. डिग्रीधारक दो गैर–चक्रवर्ती अग्रिम ेतन–वृद्धियों के पात्र होंगे।

(iii) किसी व्यावसायिक पाठ्यक्रम में, जैसे किसी सांविधिक विश्वविद्यालय द्वारा मान्यताप्राप्त प्रासंगिक शाखा/विषय–क्षेत्र में एम.टैक, स्नातकोत्तर डिग्री धारण करने वाले भी प्रवेश स्तर पर दो गैर–चक्रवर्ती अग्रिम वेतन–वृद्धियों के पात्र होंगे।

(iv) ऐसे अध्यापक, जो सेवा में रहते हुए अपनी पीएच.डी. डिग्री पूरी करते हैं, तीन गैर–चक्रवर्ती वेतन–वृद्धियों के लिए पात्र होंगे, यदि ऐसी पीएच.डी. प्रासंगिक शाखा/विषय–क्षेत्र में है तथा किसी विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन, पाठ्यक्रम–कार्य एवं मूल्यांकन आदि के लिए यूजीसी द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए प्रदान की गई है।

(v) तथापि, सेवाकालीन ऐसे अध्यापक, जिन्हें इस स्कीम के प्रवृत्त होने के समय पीएच.डी. प्रदान की गई है अथवा जिन्होंने पीएच.डी. के लिए नामांकित हो चुकने पर पाठ्यक्रम–कार्य, यदि कोई है, तथा साथ ही मूल्यांकन भी पहले ही कर लिया है, तथा केवल पीएच.डी. प्रदान किए जाने के संबंध में अधिसूचना की ही प्रतीक्षा की जा रही है, वे भी तीन गैर–चक्रवर्ती वेतन–वृद्धियों को पाने के लिए पात्र होंगे, भले ही ऐसी पीएच.डी. प्रदान करने वाला विश्वविद्यालय अभी अधिसूचित नहीं किया गया है।

(vi) सेवाकालीन ऐसे अध्यापक, जिन्होंने पीएच.डी. के लिए अभी नामांकन नहीं किया है, सेवा काल में पीएच.डी. प्राप्त होने पर केवल तीन गैर–चक्रवर्ती वेतन–वृद्धियों के लाभ ले सकेंगे, यदि ऐसा नामांकन यूजीसी द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय के साथ किया गया है।

(vii) ऐसे अध्यापक जो सेवा के दौरान किसी सांविधिक विश्वविद्यालय द्वारा मान्यताप्राप्त प्रासंगिक शाखा/विषय–क्षेत्र में एम.फिल अथवा एम.टैक डिग्री अर्जित करते हैं, एक अग्रिम वेतन–वृद्धि के पात्र होंगे।

(viii) ऐसे सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष को पांच गैर–चक्रवर्ती अग्रिम वेतन–वृद्धियां अनुमेय होंगी जो प्रवेश स्तर पर किसी ऐसे विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान के विषय–क्षेत्र में पीएच.डी. के साथ भर्ती हुआ हो, जिसने पुस्तकालय विज्ञान में पीएच.डी. प्रदान करने के लिए नामांकन, पाठ्यक्रम–कार्य तथा मूल्यांकन प्रक्रिया के संबंध में यूजीसी द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन किया हो।

(ix) सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष तथा अन्य पुस्तकालय कार्मिक, जिन्होंने सेवा काल के दौरान किसी भी समय, नामांकन, पाठ्यक्रम–कार्य तथा मूल्यांकन के संबंध में यूजीसी द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन करने वाले किसी विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान के विषय–क्षेत्र में पीएच.डी. की डिग्री अर्जित कर ली है, तीन गैर–चक्र र्ती अग्रिम वेतन–वृद्धियों के पात्र होंगे।

(x) तथापि, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष के पदों अथवा उच्चतर पदों के व्यक्ति, जिन्हें जिन्हें इस स्कीम के प्रवृत्त होने के समय पीएच.डी. प्रदान की गई है अथवा जिन्होंने पुस्तकालय विज्ञान में पीएच.डी. के लिए नामांकित हो चुकने पर पाठ्यक्रम–कार्य, यदि कोई है, तथा साथ ही मूल्यांकन भी पहले ही कर लिया है, तथा केवल पीएच.डी. प्रदान किए जाने के संबंध में अधिसूचना की ही प्रतीक्षा की जा रही है, वे भी तीन गैर–चक्रवर्ती वेतन–वृद्धियों को पाने के लिए पात्र होंगे, भले ही ऐसी पीएच.डी. प्रदान करने वाला विश्वविद्यालय अभी यूजीसी द्वारा आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के साथ सहयोजित होने के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है।

(xi) सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष के पदों अथवा उच्चतर स्थितियों के व्यक्तियों के प्रत्येक अन्य मामले के संबंध में, जिन्होंने पहले ही पीएच.डी. के लिए नामांकन करा लिया है, वे तीन गैर–चक्रवर्ती वेतन–वृद्धियों का लाभ तभी उठाएंगे यदि पीएच.डी. प्रदान करने वाला विश्वविद्यालय यूजीसी से अधिसूचित है, तथा उसने, यथास्थिति, पाठ्यक्रम–कार्य अथवा मूल्यांकन के लिए अथवा दोनों ही के संबंध में पीएचडी प्रदान करने के लिए यूजीसी द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन किया हैं

(xii) सहायक पुस्तकालयध्यक्ष/कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष तथा सेवा काल में उच्च पुस्तकालय पदों में नियुक्ति व्यक्ति, जिन्होंने पीएच.डी. के लिए अभी नामांकन नहीं कराया है, सेवा काल में पीएच.डी. प्राप्त होने पर केवल तभी तीन गैर–चक्रवर्ती वेतन–वृद्धि का लाभ प्राप्त कर सकेंगे, जब ऐसा नामांकन ऐसे विश्वविद्यालय के साथ किया गया हो, जो नामांकन सहित यूजीसी द्वारा यथानिर्दिष्ट समस्त प्रक्रिया का अनुपालन करता हो।

(xiii) दो गैर–चक्रवर्ती अग्रिम वेतनवृद्धियां ऐसे सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष को भी अनुमेय होंगी जिनके पास प्रवेश स्तर पर पुस्तकालय विज्ञान में एम.फिल डिग्री होगी। सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष तथा ऐसे उच्च स्थितियों के कार्मिक, जिनके पास उनके सेवा काल के दौरान किसी भी समय पुस्तकालय विज्ञान में एम.फिल डिग्री अर्जित है, वे भी एक अग्रिम वेतन–वृद्धि के पात्र होंगे।

(xiv) पूर्ववर्ती खंडों में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे कर्मी जिन्होंने पूर्व स्कीम के अंतर्गत प्रवेश स्तर पर पीएच.डी./एम. टैक धारण करने के लिए अग्रिम वेतन–वृद्धियों का लाभ पहले ही उठा लिया है, इस स्कीम के अंतर्गत अग्रिम वेतन–वृद्धियों के लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे।

(xv) प्रवेश स्तर पर ऐसे पदों के लिए, जहां पूर्व स्कीम के अंतर्गत पीएच.डी./एम.टैक धारण करने के लिए ऐसी कोई वेतनवृद्धि अनुमेय नहीं थी, केवल उन्हीं नियुक्तियों को पीएच.डी./एम.टैक धारण करने के लिए पांच अग्रिम वेतन–वृद्धियों का लाभ उपलब्ध रहेंगे, जो इस स्कीम के प्रवृत्त होने पर अथवा इसके पश्चात की गई हैं।

शारीरिक शिक्षा कार्मिकों के लिए वेतन मान तथा कैरियर संवर्धन स्कीमः

(क) सहायक शारीरिक शिक्षा निदेशक (सहायक डीपीई)/कॉलेज शरीरिक शिक्षा निदेशक (कॉलेज डीपीई)

(i) 8000–13000 रु0 के पूर्व–संशोधित वेतनमान में सहायक शारीरिक निदेशक/कॉलेज डीपीई को 6000 रु0 की एजीपी के साथ 15600–39100 रु0 के वेतन बैंड में उपयुक्त अवस्था पर नियत किया जाएगा।

(ii) पदधारी सहायक शारीरिक शिक्षा निदेशक/कॉलेज डीपीई का वेतन छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के 'नियतन सूत्र' के अनुरूप, 6000 रु0 के एजीपी के साथ 15600–39100 रु0 के वेतन बैंड में उपयुक्त अवस्था पर नियत किया जाएगा।

(iii) अभातशिप द्वारा निर्धारित पात्रता तथा शैक्षणिक अर्हताओं की समस्त विद्यमान शर्तें सहायक शारीरिक शिक्षा निदेशक/कॉलेज डीपीई की सीधी भर्ती के लिए लागू रहना जारी रहेंगी।

(ख) सहायक शारीरिक शिक्षा निदेशक (वरिष्ठ मान)/कॉलेज डीपीई (वरिष्ठ मान)

(i) 10000–15200 रु0 के पूर्व–संशोधित वेतनमान में सहायक शारीरिक शिक्षा निदेशक (वरिष्ठ मान)/कॉलेज डीपीई (वरिष्ठ मान) को 7000 रु0 के एजीपी के साथ 15600–39100 रु0 के वेतन बैंड में रखा जाएगा।

(ii) 6000 रु0 के एजीपी में सहायक डीपीई/कॉलेज डीपीई के प्रवेश स्तर पर शारीरिक शिक्षा में पीएच.डी. धारण करने वाले सहायक शारीरिक शिक्षा निदेशक (वरिष्ठ मान)/कॉलेज डीपीई (वरिष्ठ मान) को, 6000 रु0 के एजीपी में चार वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात तथा अभातशिप द्वारा निर्दिष्ट दिशा–निर्देशों के अनुसार अन्यथा पात्र होने पर, 15600–39100 रु0 के वेतन बैंड में 7000 रु0 के उच्च एजीपी में चले जाएंगे।

(iii) 6000 रु0 के एजीपी में सहायक डीपीई/कॉलेज डीपीई के प्रवेश स्तर पर शारीरिक शिक्षा में एम. फिल धारण करने वाले सहायक शारीरिक शिक्षा निदेशक (वरिष्ठ मान)/कॉलेज डीपीई (वरिष्ठ मान) 6000 रु0 के एजीपी में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात, 7000 रु0 के उच्च एजीपी के लिए पात्र होंगे।

(iv) प्रासंगिक पीएच.डी. तथा एम.फिल न रखने वाले सहायक शारीरिक शिक्षा निदेशक/कॉलेज डीपीई, 6000 रु0 के एजीपी में सहायक शारीरिक शिक्षा निदेशक/कॉलेज डीपीई के रूप में छह वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात, तथा अभातशिप द्वारा निर्दिष्ट दिशा–निर्देशों के अनुसार अन्यथा पात्र होने पर, 7000 रु0 के एजीपी में रखे जाने के लिए पात्र होंगे।

(v) पदधारक सहायक शारीरिक शिक्षा निदेशक (वरिष्ठ मान)/कॉलेज डीपीई (वरिष्ठ मान) का वेतन छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के 'नियतन सूत्र' के अनुसार 7000 रु0 के एजीपी में 15600–39100 रु0 के वेतन बैंड में उपयुक्त अवस्था में नियत किया जाएगा।

(ग) उप–शारीरिक शिक्षा निदेशक/सहायक शारीरिक शिक्षा निदेशक (प्रवरण ग्रेड)/कॉलेज शारीरिक शिक्षा निदेशक (प्रवरण ग्रेड)

(i) 7000 रु0 के एजीपी के साथ 15600–39100 रु0 के वेतन बैंड में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात तथा अभातशिप द्वारा निर्धारित अन्य पात्रता शर्तों की संतुष्टि के अध्यधीन, सहायक

शारीरिक शिक्षा निदेशक (वरिष्ठ मान)/कॉलेज डीपीई (वरिष्ठ मान) 15600–39100 रु0 के वेतन बैंड में 8000 रु0 के एजीपी में चले जाएंगे। उन्हें, यथास्थिति, उप–शारीरिक शिक्षा निदेशक/सहायक डीपीई (प्रवरण ग्रेड)/कॉलेज डीपीई (प्रवरण ग्रेड) के रूप में पदनामित किया जाएगा।

(ii) 8000 रु0 के एजीपी तथा 15600–39100 रु0 के वेतन बैंड में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात तथा अभातशिप द्वारा निर्धारित पात्रता के अध्यधीन, उप–डीपीई/सहायक डीपीई (प्रवरण ग्रेड)/कॉलेज डीपीई (प्रवरण ग्रेड), 9000 रु0 के एजीपी के साथ 37400–67000 रु0 के वेतन बैंड में चले जाएंगे। उन्हें उप–डीपीई/सहायक डीपीई (प्रवरण ग्रेड)/कॉलेज डीपीई (प्रवरण ग्रेड) के रूप में पदनामित किया जाना जारी रहेगा।

(iii) उप–डीपीई/सहायक डीपीई (प्रवरण ग्रेड)/कॉलेज डीपीई (प्रवरण ग्रेड) के पद के सभी पदधारी, जिन्होंने 1.1.2006 को गैर–संशोधित 12000–18300 के वेतन मान में न्यूनतम तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, 9000 रु0 के एजीपी के साथ 37400–67000 रु0 के वेतन बैंड में नियतन किए जाने के पात्र होंगे।

(iv) उप–डीपीई/सहायक डीपीई (प्रवरण ग्रेड)/कॉलेज डीपीई (प्रवरण ग्रेड) के पद के सभी पदधारी, जिनकी सेवा गैर–संशोधित वेतनमान 12000–18300 रु0 में तीन वर्ष से कम होती है, जोकि उन्हें उच्च वेतन बैंड में जाने के लिए पात्र बना देती, गैर–संशोधित वेतन मान में उप–डीपीई/एडीपीई (प्रवरण ग्रेड)/कॉलेज डीपीई (प्रवरण ग्रेड) के रूप में तीन वर्ष की अपेक्षित सेवा पूर्ण कर लेने तक 15600–39100 रु0 के वेतन बैंड में 8000 रु0 के एजीपी पर उपयुक्त अवस्था में रखे जाएंगे।

(v) सीधे भर्ती हुए उप–डीपीई का वेतन आरंभिक तौर पर 15600–39100 रु0 के वेतन बैंड में 8000 रु0 के एजीपी के साथ नियत किया जाएगा, तथा 3 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर, सीधे भर्ती हुए उप–डीपीई और समकक्ष पदधारक, 9000 रु0 के एजीपी के साथ 37400–67000 रु0 के वेतन बैंड में चले जाएंगे।

अन्य निबंधन और शर्तें:

वेतन–वृद्धियां:

(i) प्रत्येक वार्षिक वेतन–वृद्धि वेतन बैंड में अवस्था के लिए यथालागू प्रासंगिक वेतन बैंड तथा एजीपी में वेतन के कुल योग के 3 प्रतिशत के समकक्ष होगी।

(ii) प्रत्येक अग्रिम वेतन–वृद्धि भी यथालागू प्रासंगिक वेतन बैंड तथा एजीपी में वेतन के कुल योग की 3 प्रतिशत की दर से होगी तथा गैर–चक्रवर्ती होगी।

(iii) एजीपी की प्रत्येक उच्च अवस्था पर रखे जाने पर अतिरिक्त वेतन–वृद्धियों की संख्या निम्न वेतन मान से उच्च वेतन मान में प्रोन्नति पर वेतनवृद्धि की विद्यमान स्कीम के अनुसार, होगी; तथापि, दो वेतन बैंडों के बीच प्रभावी वेतन में पर्याप्त वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, 15600–39100 रु0 के वेतन बैंड से 37400–67000 रु0 के वेतन बैंड में संचलन पर कोई अतिरिक्त वेतन–वृद्धि नहीं दी जाएगी।